

## नोटिस

**न्यायालय / कार्यालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़**

पत्रांक: 730/वि०उप०व्य०नि०फो०आ०/2019

दिनांक 24.08.2019

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र स्व० शिवचरन सिंह, ग्राम-सराय सादी, पोस्ट-चण्डेश्वर, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़।.....परिवादी

**बनाम**

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(प्रथम), आजमगढ़।.....विपक्षी

परिवादी (श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र स्व० शिवचरन सिंह) आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में दिनांक 03.09.2019 को उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षी (अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(प्रथम), आजमगढ़)। को इस संबंध में विद्युत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.09.2019 को पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि०, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24.08.2019 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी

दिनांक: 24/08/2019



विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,  
आजमगढ़ (उ०प्र०)

दीर्घराज  
28/08/19  
EE E.O.D. - R Aranganh  
(विपक्षी)

राजेन्द्र प्रसाद सिंह  
(परिवारी)